

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ**

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

संख्या - 352 / 2025

गोविंद गुप्ता @ गोविंद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग , लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री अनुपम बाजपेयी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 22.4.2025 के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 1-राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करें।

2. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 108/2025, अंतर्गत धारा 316(2), 318(4), 131, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के संबंध में दाखिल किया गया है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, कहा गया है कि आवेदक ने सह-आरोपी पत्नी के साथ मिलकर स्वयं को एल.यू.सी.सी. कंपनी का अभिकर्ता बताकर आवेदक को एक बड़ी धनराशि जमा करने का धोखा दिया। आरोपों के अनुसार, निवेश तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाना था, परंतु परिपक्वता पर भी उक्त राशि वापस नहीं की गई है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है और वास्तव में वह उक्त कंपनी का अभिकर्ता है जिसमें उक्त राशि जमा की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी की अंतर्वस्तु के अनुसार भी, यह प्रस्तुत है कि संबंधित शेष राशि आवेदक की पत्नी के खाते में भी जमा की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक अन्वेषण में सहयोग कर रहा है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस कथन के साथ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि प्राथमिकी स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों में आवेदक की मिलीभगत को भी इंगित करती है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत, यह प्रतीत होता है कि आरोप का मुख्य सार सह-आरोपी आवेदक की पत्नी के विरुद्ध लगाया गया है, जिसके खाते में भी राशि जमा की गई बताई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अद्यतन अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक का यह वचनबंध भी प्रस्तुत किया है कि वह अन्वेषण में सहयोग करेगा।

7. वाद के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरांत, यह न्यायालय इसे अंतरिम अग्रिम जमानत का एक उपयुक्त वाद पाता है।

8. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 के वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में, आरोपी-आवेदक गोविंद गुप्ता @ गोविंद को अंतरिम उपाय के रूप में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक को प्रदान की जा रही अग्रिम जमानत के संबंध में भविष्य की आकस्मिकताओं का भी सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक को उपरोक्त अपराध संख्या में तत्काल गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी/थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) यह कि आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii) यह कि आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे;
- (iii) यह कि आवेदक(गण) न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) यह कि आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आवेदक(गण) दौरान विचारण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (v) यह कि आवेदक(गण) अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं लाएगा/डराएगा-धमकाएगा नहीं;
- (vi) यह कि आवेदक(गण) विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;
- (vii) यह कि उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में, इस आदेश का लाभ आवेदक(गण) को उपलब्ध नहीं होगा।

10. इस वाद को 15.05.2025 को तामीली रिपोर्ट के साथ नए सिरे से सूचीबद्ध करें।

11. इस बीच आपतियां दाखिल की जा सकती हैं।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें दाखिल करने के पश्चात् आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसने अन्वेषण में विधिवत रूप से सहयोग किया है। वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

वाद के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना तथा आरोप की प्रकृति और साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाद में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, आवेदक ने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और साथ ही आवेदक द्वारा विचारण में सहयोग करने का जो वचन दिया गया है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 22.4.2025 के माध्यम से प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय के **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98** वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में पूर्ण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 22.4.2025 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

19 मार्च, 2026

श्रवण

Translated Version. Not for Legal Use.